अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2023 / 277

रीवा, दिनांक :- 24-4-2023

स्मरणपत्र

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
पं. रामसुन्दर शुक्ला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, पहड़िया, जिला रीवा (म.प्र.)
पूर्व नाम – अरुण तिवारी स्मृति महाविद्यालय, पहड़िया, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :– **सत्र 2022–2023 के लिए अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– (1) आपका पत्र क्रमांक 04 / 01 दिनांक 04–04–2023
(2) विश्वविद्यालय का संशोधित पत्र क्रमांक / विकास / 2023 / 73 रीवा दिनांक 21–2–2023

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर प्रकरण पर पारित आदेश के परिपालन में संदर्भांकित पत्र के द्वारा मय विवरण सहित सत्र 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 के लिए सम्बद्धता शुल्क पर अधिरोपित 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की राशि रुपये 1,99,800=00 तथा सत्र 2020–2021 की बकाया सम्बद्धता शुल्क की राशि रुपये 1,90,000=00 अर्थात कुल राशि रुपये 3,89,800=00 (तीन लाख नवासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र जमा कराने के लिए पत्र भेजा गया था। किन्तु आपके द्वारा वांछित राशि अद्यावधि नहीं जमा करायी गई है।

अतः अंतिम रूप से आपको स्मरण कराया जाता है कि उपर्युक्त राशि तीन दिवस में जमा कराने की व्यवस्था करें तभी सत्र 2022–2023 के लिए सम्बद्धता नवीनीकरण पत्र जारी किया जावेगा। ऐसा नहीं करने पर सम्बद्धता का नवीनीकरण रोका जाकर सम्बद्धता समाप्त किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी, जिससे होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिए आपकी स्वयं की जिम्मेवारी होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
2. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
3. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर अनिवार्यतः वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।
5. नोडल ऑफीसर, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)